

शिव प्रताप सिंह पालारा

बनाम

परियोजना निदेशक यूनिट – कोटा व अन्य।

प्रथम अपील प्राधिकारी – एन.एम.शर्मा (महाप्रबन्धक)

उपस्थित –

1. अपीलार्थी – श्री शिव प्रताप सिंह पालारा, की तरफ से संदीप सिंह शेखावत ,
2. प्रत्यार्थी – परियोजना निदेशक यूनिट – कोटा, आर.एस.आर.डी.सी. एवं अन्य
3. प्रत्यार्थी – निर्मला देवी, की तरफ से श्री विमल चौधरी, एडवोकेट .

निर्णय में संशोधन

दिनांक :-

यह है कि प्रतिपक्ष संख्या 1 द्वारा अवगत कराया गया की निर्णय दिनांक 07.08.2019 को पारित किया गया जबकि आदेश सुनाने की तिथि 02.08.2019 टंकित हो गई है।

निर्णय दिनांक 07.08.2019 को देखा गया संवहन से निर्णय सुनाने की तिथि 02.08.2019 टंकित हों गई है, जिसे दिनांक 02.08.2019 के स्थान पर दिनांक 07.08.2019 पढा जायें।

प्रथम अपील प्राधिकारी ,

(महाप्रबन्धक)

आर.एस.आर.डी.सी. लि. जयपुर।

9/8/2019